ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

महत्वपूर्ण / आवश्य

डीजी परिपत्र संख्या- 16 / 2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ-226001

दिनाक: अप्रैल 8 ,2019

विषयः प्रदेश के विद्यालयों में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने व स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप भली-भॉति अवगत है कि अधिकांश विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को लाने व ले जाने के लिये संचालित विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से अधिकांश वाहनों में अवैध एल0पी0जी0 किट लगे होते हैं। ऐसे स्कूली वाहन मानक के अनुरूप नहीं होते हैं तथा प्रायः अप्रशिक्षित चालकों द्वारा चालित किये जाते है, जिससे प्रायः दुर्घटनाएं घटित होती है, जिनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पूर्व में पार्श्वांकित विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

> डीजी सं0- डीजी-सात 246(67)2017 दि0 12.09.2017
> डीजी परिपत्र सं0-डीजी-19 / 2018 दि0 27.04.2018

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 13029 / 1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दि0 16.12.1997 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 27.04.2018 को परिपत्र सं0-19 / 2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये, फिर भी स्कूली वाहनों में यात्रा करने वाले बच्चों के साथ दुखद घटनाएं घटित होने की सूचना प्राप्त होती है।

3. जन अधिकार मंच द्वारा योजित रिट याचिका सं0-3092 / 2019 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवैध रूप से एल0पी0जी0 किट लगे स्कूली वाहनों के संचालन पर आपत्ति प्रकट करते हुये स्कूल वैन के संचालन हेतु मानक निर्धारित करते हुये उसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

The Director General of Police, State of Uttar Pradesh, Lucknow is also directed to ensure strict compliance of the norms if any, for Plying of the school vans, If no norms are availalble, then reasonable norms shall be framed by the State of Uttar Pradesh on or before 10-04-2019 and compliance thereof be ensured.

3. अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. किसी भी स्कूली वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाये, क्योंकि ओवर लोडिंग से दुर्घटना की आशंका ज्यादा हो जाती है।
2. स्कूली वाहनों में अनधिकृत एल0पी0जी0 किट लगाना मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 52 के प्राविधानों के विपरीत होने पर कोई पुलिस अधिकारी, जो वर्दी में है केन्द्रीय मोटर यान नियमावली-1989 के नियम 139 के अन्तर्गत आर0सी0, बीमा

Scanned by CamScanner

फिटनेस, व परमिट प्रमाण पत्रों की जांच के लिये अधिकृत है। आर0सी0 की जांच में यदि यह पाया जाता है कि पंजीकृत वाहन में लगी एल0पी0जी0 अवैध है, तो ऐसे वाहनों के विरूद्ध विधिनुसार अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही कर उसका संचालन प्रतिबन्धित करें।

3. विद्यालयों के वाहन में First Aid Box, अग्निशमन उपकरण तथा पीने योग्य स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

4. जिला प्रशासन, संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस व स्वयं सेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके अनधिकृत रूप से एल0पी0जी0 किट लगाकर संचालित असुरक्षित स्कूली वाहनों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिला प्रशासन एवं शिक्षण संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर अवैध एल0पी0जी0 किट युक्त स्कूली वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आप सभी को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या–19 / 2018 दिनांक 27.04.2018 का कठोरता से अनुपालन कराते हुये सघन अभियान चलाकर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु स्कूली वाहनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करायें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

8.4.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को समन्वय व अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक, यातायात को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्त निर्देश का अनुपालन अपने निकट परिवेक्षण में समय–समय पर अभियान चलाकर सुनिश्चित कराये तथा परिणाम से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

उक्त की प्रति समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि विद्यालय प्रबन्धन समिति, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, संभागीय परिवहन अधिकारी व अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये कृपया स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

Scanned by CamScanner